संख्या-7/2024/आई/813218/23-1309999(099)/180/2024

सेवा में,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-13 **लखनऊ : दिनांक : 04 दिसम्बर, 2024**

विषय :जनपद गाजीपुर में मनिहारी जखनियॉ फददोपुर मार्ग (अ०जि०मा०)के चैनेज 0.000 से 14.000 तक (लम्बाई 14.000 कि०मी०) के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-578नि०/144/01नि०/2024-25, दिनांक 23.08.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं० दीन दयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत तहसील/ब्लॉक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण योजनान्तर्गत जनपद गाजीपुर में मनिहारी जखनियॉ फददोपुर मार्ग (अ०जि०मा०) के चैनेज 0.000 से 14.000 तक (लम्बाई 14.000 कि०मी०) के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0-3142.70 लाख (रूपये इकतीस करोड़ बयालिस लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागत के सापेक्ष रू0-1099.94 लाख(रूपये दस करोड़ निन्यानबे लाख चौरानबे हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र.स.	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	लागत (रू० लाख में)	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1.	गाजीपुर / प्रांतीय खण्ड	जनपद गाजीपुर में मनिहारी जखनियॉ फददोपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.000 से 14.000 तक (लम्बाई 14.000 कि0मी0) के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	**3142.70**	**1099.94**

<u>नियम, शर्तें व प्रतिबन्ध</u> -

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) स्वीकृत धनराशि का व्ययय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर में नही रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/ मद के लिए है, उसी कार्य/ मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) अधिष्ठान व्यय/ सेंटेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011, दिनांक 25 जनवरी, 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रांसफर इन्ट्री क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।

(9) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवाश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(10) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(11) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस- 2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रकिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

(14) प्रायोजना में यूटीलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत विद्युत विभाग की शिफ्टिंग हेतु प्रस्तावित रू0 97.40 लाख की धनराशि सम्मिलित करते हुए लागत का आंकलन किया गया है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से पूर्व लोक निर्माण विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित विस्तृत आगणन के अनुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्तर से प्रस्तावित कार्यों का Verification & revalidation कराते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें एवं तद्नुसार यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत अनुमन्य की जायेगी। साथ ही यूटिलिटी शिफ्टिंग करने हेतु एन०एच०ए०आई० के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य इस प्रकार सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा यूटिलिटी शिफ्टिंग की पुनः आवश्यकता न हो।

(13) प्रायोजना में प्रस्तावित मार्ग की लेपित चौड़ाई एवं फारमेशन चौडाई इत्यादि तथा पक्के स्ट्रक्चर्स यथा- पुल. पुलिया, ड्रेन इत्यादि का निर्माण IRC/लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानकों (Standards) के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रशासकीय विभाग/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(14) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(15) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौडाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(16) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रश्नगत मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि भविष्य में कास्ट ओवर रन एवं टाईम ओवर रन की स्थिति न उत्पन्न होने पाये।

(18) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 में निहित व्यवस्था/ शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) सेंटेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार) निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0-10,99,94000 (रूपये दस करोड़ निन्यानबे लाख चौरानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-58 लेखा शीर्षक 5054-03-337-13-47-24 पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/ चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-306-X-2024-25, दिनांक 23.10.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u> -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(5) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी।
(6) मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(8) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
(9) सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी।
(10) संबंधित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग।
(11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
(12) राज्य योजना आयोग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) अधीक्षण अभियंता, नियोजन/ परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(14) लोक निर्माण अनुभाग-1/6/10/11/12 एवं 14, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लो०नि०वि०, उ०प्र० शासन।
(16) अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in